सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आषाढ़ 05, गुरूवार, *शाके* 1947- जून 26, 2025
Asadha 05, Thursday, Saka 1947- June 26, 2025

भाग-7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुये सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

कार्यालय सम्भागीय मुख्य अभियन्ता .एवं नि.प्र)) अजमेर

अधिसूचना

अजमेर, अजमेर, जून 13, 2025

D 402: भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 अनु-164 एवं भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 (केन्द्रीय अधि .13/1885) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.2.2004 जिसे राजस्थान के राजपत्र में दिनांक 08.03.2004 को एस .ओ.408 पृष्ठ 393 (13) भाग 4(जीए.एफ .सं अधिसूचना संशधित जारी द्वारा सरकार राजस्थान तदोपरान्त (15 (4) ऊर्जा/2017दिनांक 03.10.17 जिसे राजस्थान राजपत्र में दिनांक 09.10.2017 को प्रकाशित किया गया। जिसके अनुसार सम्भागीय मुख्य अभियन्ता रारविप्रनिलि (.नि .एवं .प्र), अजमेर जोधपुर/जयपुर/ आवश्यक लिए के समन्वय उचित के काम या लिए के प्रसारण के बिजली में क्षेत्र अधिकार उनके को लीफोनिक या टेलीग्राफिक संचार के उद्देश्य से बिजली की लाइनों या बिजली संयत्रों को खड़ा करने के लिए मार्ग गया किया अधिकृत हेतु करने जारी मंजूरी उपयुक्त की वे ऑफ़ राइट अथार्त अधिकार- है।अतः उक्त अधिनियम की प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गतअधोहस्ताक्षरित सक्षम अधिकारी द्वाराबिजली की आपूर्ति हेतु **132 केवि ग्रिड सबस्टेशन सुहागपुरा हेतु 132 केवि एकल परिपथिय दालोत – अरनोद लाइन से लीलो लाइन के निर्माण कार्य हेतु मार्ग- वे आफ राइट अथार्त अधिकार** की उपयुक्त मंजूरी जारी करते है।

उक्त **द्वि**परिपथ लाईन अबनिम्नलिखित गांवो की सीमाक क्षेत्र राजस्व/े भीतर से गुजरेगी।

क्र. सं.	**गांवो के नाम**	**क्र. सं.**	**गांवो के नाम**
1	डोजड़ा	2	कराड़िया

लखपत लाल मीणा,
सम्भागीय मुख्य अभियन्ता, अजमेर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।